किसानों ने लिया जयपुर शहर में भाजपा की जीत का संकल्प

जयपुर। जयपुर शहर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा की प्रचण्ड जीत के लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और परकोटा क्षेत्र के साथ ही लोकसभा की सभी आठों विधानसभा सीटों पर आमजन के बीच जाकर भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे। इसका निर्णय आज जयपुर शहर लोकसभा चुनाव कार्यालय में आयोजित किसान मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में किया गया।

- **किसान मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे**
- **अन्य दलों ने किसानों को हमेशा वोट ही समझा है लेकिन आगे बढाने का कार्य नहीं किया : पटेल**

जयपुर शहर लोकसभा चुनाव कार्यालय में शुक्रवार को किसान मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो किसानों के हित और उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। अन्य दलों ने किसानों को हमेशा वोट ही समझा है लेकिन आगे बढाने का कार्य नहीं किया। हवामहल विधायक बालमुकुन्दाचार्य ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सुराज संकल्प पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार ने एक अप्रैल से ही चना और सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी है।

महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 100 रूपए बोनस की घोषणा की है। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी अब 8 हजार रूपए वार्षिक हो गई है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो किसानों के सम्मान तथा उनकी आय बढाने के लिए प्रयास कर रही है। किसान मोर्चा के प्रभारी कल्याण सहाय ने कहा कि अब चुनावों में सभी कार्यकर्ताओं को मतदान होने तक दिन रात एक करने हैं। इसके लिए वार्ड अनुसार कार्यकर्ताओं के दलों का गठन किया जाएगा जो अपने वार्ड में प्रचार के साथ ही मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लेकर आने का कार्य करेंगे।

इस मौके पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश सैनी ने कहा कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर आमजन के साथ बैठक कर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। बैठक में किसान मोर्चा के शहर भर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

भाजपा का 45वां स्थापना दिवस आज

जयपुर। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश मुख्यालय को रंग-बिरंगी रोशनी और भगवा रंग से सजाया गया है, वहीं कार्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट भी की गई है।

भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश मुख्यालय पर शनिवार सुबह 9:15 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही संगठन की विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।

ललित किशोर चतुर्वेदी को पुष्पांजली अर्पित

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके जीवन मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी प्रवेश वर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक ओंकार सिंह लखावत, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, ललित किशोर चतुर्वेदी के पुत्र लोकेश चतुर्वेदी सहित अन्य ने पुष्पांजली अर्पित की।

राज्यपाल को चित्र-कथाओं का सेट भेंट किया

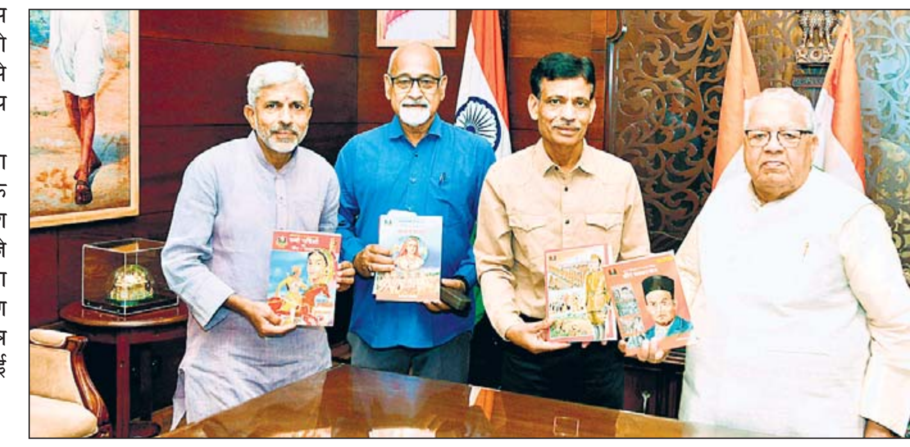

राज्यपाल कलराज मिश्र को शुक्रवार को राजभवन में कलाकार, चित्र-कथाकार ब्रजराज राजावत ने मुलाकात कर अपनी सृजित चित्रकथाओं की पुस्तकों का सेट भेंट किया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र को शुक्रवार को यहां राजभवन में कलाकार, चित्र-कथाकार ब्रजराज राजावत ने मुलाकात कर अपनी सृजित चित्रकथाओं की पुस्तकों का सेट भेंट किया। राज्यपाल मिश्र को राजावत ने चित्रकथा पुस्तकें राष्ट्र नायक सुभाष चन्द्र बोस, राष्ट्र उन्नायक आचार्य शंकर, वीर सावरकर और रानी पद्मिनी और गोरा-बादल की प्रतियां भेट करते हुए अपने इस लेखन और कलाकर्म के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने चित्रकथा पुस्तकों की सराहना की।

राजावत ने बताया कि चार पुस्तकों के इस सेट में आजादी आंदोलन में सुभाष चन्द्र बोस की रही भूमिका, आदि शंकराचार्य की भारतीय संस्कृति को रही देन के संदर्भ में उनके जीवन आलोक, इतिहास के पन्नों पर दर्ज पद्मिनी और चित्तौड़ की वीरांगनाओं के जौहर, गोरा-बादल की वीरता के साथ ही वीर सावरकर की राष्ट्र भक्ति के संदर्भ में शोध कर चित्र-कथाओं का सृजन किया गया है। इनमें इतिहास के प्रमुख तथ्यों को पर्याप्त शोध कर चित्रों के साथ कथाओं में गूंथा गया है। राज्यपाल को पुस्तक भेंट करने के दौरान साहित्यिक संस्था आखर के संयोजक प्रमोद शर्मा और फिल्मकार सुरेश मृदगल भी उपस्थित रहे।

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(मुरलीपुरा सब्जी मण्डी के पीछे, सामुदायिक केन्द्र मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर)
क्रमांक- मु.जो./ननिज/2024/192 दिनांक- 04.04.2024

सार्वजनिक सूचना

ग्राम नींदड जयपुर में स्थित भूमि का विद्याधर जोन नगर निगम जयपुर द्वारा श्री बद्रीनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री रामूलाल को क्षेत्रफल 240 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में आवेदक श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीनारायण शर्मा द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जारी पट्टा मय साइट प्लान की फोटो प्रति, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं रजि हकत्याग पत्र व अन्य चैन दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीनारायण शर्मा के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 240 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आपकी बेटी आपसे लेने आई है जीत का आशीर्वाद : मंजू शर्मा

जयपुर। भाजपा जयपुर शहर लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने चांदपोल बाजार से लेकर छोटी चौपड़ तथा परकोटा क्षेत्र के विभिन्न बाजारों का दौरा कर भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान आमजन ने अपनी प्रिय नेता के स्वागत में पलक पावडे बिछा दिए और एक दर्जन से अधिक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया।

जनसंपर्क के दौरान लोगों ने जहां माला, साफा पहनाकर मंजू शर्मा का अभिनंदन किया। वहीं कई स्थानों पर आतिशबाजी के साथ ही लोगों को मुंह मीठा करवाकर भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने पूर्व सांसद स्व. गिरधारी लाल भार्गव के घर जाकर मालती भार्गव से जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर का परकोटा वह क्षेत्र है जहां उनका बचपन बीता है और यहां की गलियों में खेलते हुए ही वे बडी हुई है। उनकी पूरी शिक्षा भी इसी क्षेत्र में हुई है और यहां के लोगों के प्रति उनका गहरा जुड़ाव भी है। उन्होंने जब भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की तो परकोटा क्षेत्र के लोगों ने गहरी आत्मीयता दर्शाते हुए हमेशा उनका साथ दिया है, परकोटे क्षेत्र के विकास यात्रा की शुरूआत स्व. भंवरलाल शर्मा व स्व. गिरधारीलालजी भार्गव ने ही की है। ऐसे में ह्रदय की अनंत गहराईयों से यहां को लोगों को धन्यवाद देने के साथ ही सहयोग मांगने के लिए आई है। इस दौरान आमजन ने अपनी बहन मंजू शर्मा को मत व समर्थन का भरोसा दिलाया।

सांसद रामचरण बोहरा ने कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति करते हुए दो समुदायों के बीच खाई खोदने का कार्य किया है। यह लोग सनातन धर्म को गाली देने का कार्य करते हैं।

एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन के बयान लिए ए.सी.बी. ने

एस.एम.एस. अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने का मामला

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी के मामले में एसीबी मुख्यालय की टीम ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन और एथिकल कमेटी के सदस्यों के बयान लेकर पूछताछ की है।

- **एसीबी ने एथिकल कमेटी के सदस्यों से भी पूछताछ की**
- **टीम ने कमेटी में शामिल चिकित्सकों के हस्ताक्षर के सैम्पल भी लिए**

सूत्रों के अनुसार मामले में शुक्रवार को एसीबी मुख्यालय की टीम एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंची। जहां टीम ने प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा और एथिकल कमेटी के मैंबर डॉ. रामगोपाल यादव के लिए बयान लिए। टीम ने तीनों चिकित्सकों के हस्ताक्षर के सैम्पल भी लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी के लिए एथिकल कमेटी गठित है। पिछले एक साथ से इस कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। इसी का फायदा उठाकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह ने निजी अस्पतालों को फर्जी हस्ताक्षर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी की थी।

वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गुरूग्राम में अंगों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आने और इस गिरोह का जयपुर में सक्रिय होने के खुलासे के बाद एसीबी की टीम और तेजी से सक्रिय हो गई है। मामले की जांच के लिए एसीबी की टीम गुरूग्राम जा सकती है। गिरोह के सदस्य झारखंड निवासी मोहम्मद अंसारी अपने साथियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से बांग्लादेशी मरीजों को गुरुग्राम स्थित गेस्ट हाउस और होटल में रुकवाता था और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में भेजता था। जयपुर में इस तरह के और कितने अस्पतालों में ट्रांसप्लाट हुए है, इसका एसीबी पता लगा रही है। वहीं राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 17 अस्पताल पंजीकृत है। इनमें पांच सरकारी और 12 निजी अस्पताल है। फर्जी एनओसी का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने जयपुर के फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वहीं गंगानगर का आस्था हॉस्पीटल में एक भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। राज्य के नौ अस्पताल जिनमें पिछले दिनों ट्रांसप्लांट हुए है। इनमें सबसे ज्यादा महात्मा गांधी अस्पताल में ट्रांसप्लांट हुए हैं। इन सबकी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी जांच कर रही है।

उल्लेखनीय है कि एसीबी ने अंग प्रत्यारोपण के लिए निजी हॉस्पिटलों को एसएमएस अस्पताल की कमेटी के नाम पर रिश्वत लेकर फर्जी एनओसी देने के मामले का 2 अप्रैल को ही खुलासा किया था। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह व फोर्टिस हॉस्पिटल के विनोद व ईएचसीसी हॉस्पिटल के अनिल जोशी को गिरफ्तार किया था।

खोया-पाया

दिनांक 03.04.2024 को घर से नगर निगम जाते समय मेरी प्रॉपर्टी डी-25 बापू नगर, गाँधी नगर स्कीम जयपुर का ओरिजिनल पट्टा खो गया है यदि किसी को मिले तो कृपया नीचे दिए पते पर भिजवाने की कृपा करें, और किसी ने इसका दुरूपयोग किया तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। मेरा पता- दिलीप कुमार उत्तमानी पुत्र श्री झामन दास उत्तमानी पता डी-189-बी, जगदीश मार्ग, बनीपार्क जयपुर, मोबाइल-9829012452

नाम परिवर्तन

मै आर्मी नंबर JC779045L NB Sub M. Tedch. (Gun) वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बघेना, डाकघर कन्जौली, तहसील-सादाबाद जिला-हाथरस (उत्तर प्रदेश) मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पत्नी हेमलता देवी की जन्मतिथि 10.08.1982 गलत दर्ज है उनकी सही जन्मतिथि 10.08.1983 है। शपथ पत्र संख्या IE0025720575 दिनांक 27.03.2024

मेरा नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड में एवं 12वीं की मार्कशीट में दीपक परेवा है (Deepak Parewa) दर्ज है और कॉलेज के दस्तावेज में दीपक परेवा (Deeepak Parewa) है। एवं 10वीं की मार्कशीट में दीपक परेवा (Dipak Parewa) दर्ज है। भविष्य में मुझे दीपक परेवा (Deepak Parewa) के नाम से जाना जाए।

आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति और सास को सजा

जयपुर, (का.सं.)। शहर की महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने विवाहिता को प्रताडित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति गिर्राज मीणा और उसकी मां भोली देवी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में बढोतरी हो रही है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

- **अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है**

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि परिवादी कालूराम मीणा ने 28 सितंबर, 2021 को महिला थाना, जयपुर उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी मीनू की शादी वर्ष 2015 में अभियुक्त गिर्राज के साथ हुई थी। जिसका वर्ष 2020 में गौणा कर दिया था। इसके बाद उससे ससुराल वाले मीनू को आए दिन परेशान करने लगे और कम दहेज लाने के लिए प्रताडित करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। आज उसे फोन पर जानकारी दी गई की उसकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब वह वहां पहुंचा तो बेटी के ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस के आने से पहले ही उसका शव नीचे उतार लिया और फंदा हटा दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से किसी तरह की प्रताडना नहीं की गई थी। मीनू ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

हिंडौन प्रकरण : मजिस्ट्रेट के बचाव में उतरी आरजेएस एसोसिएशन, याचिका पेश

जयपुर। करौली के हिंडौन थाना इलाके में दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज होने के दौरान उसके साथ प्रताड़ना व एससी-एसटी एक्ट के मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट के पक्ष में राजस्थान न्यायिक अधिकारी सेवा एसोसिएशन उतर गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गर्ग की ओर से मजिस्ट्रेट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में आराधिक याचिका पेश की है। जिस पर हाईकोर्ट आगामी सप्ताह सुनवाई करेगा।

याचिका में राज्य सरकार, केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव, राज्य के सीएस, गृह सचिव, डीजीपी, एसपी करौली, एएसपी हिंडौन, एसएचओ हिंडौन व पीड़िता सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मजिस्ट्रेट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करवाने का आग्रह किया है। याचिका में संबंधित पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने, मीडिया को जजेज के निजी कानूनी केसों की रिपोर्टिंग संवेदनशीलता से करने और मजिस्ट्रेट को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का भी आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित हाईकोर्ट के सीजे से मंजूरी लेना जरूरी होता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस कानूनी प्रावधान की अवहेलना करते हुए सीधे तौर पर ही जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद मीडिया ने इसे प्रकाशित किया और इससे आमजन में न्यायालयों की छवि भी धूमिल हुई। यदि जजों के खिलाफ जल्दबाजी व बिना मंजूरी के एफआईआर दर्ज होने लगी तो इससे जजेज पर भी विपरीत प्रभाव पडेगा और प्रकरणों में निष्पक्ष तौर पर फैसला सुनाया जाना उनके लिए कठिन हो जाएगा। गौरतलब है कि पीडिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दुष्कर्म से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने गई थी। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने कपडे उतार कर चोट दिखाने के लिए कहा।

आई.जी.एन.पी. की मरम्मत के दौरान आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने कहा कि आगामी मानसून को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर की रखरखाव एवं दुरूस्तीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर के जीर्णोद्धार के दौरान भी क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की सुचारू व्यवस्था होती रहे।

कुमार शुक्रवार को इंदिरा गांधी नहर मण्डल भवन में इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.) की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत निर्माणाधीन चार जलाशयों में मानसून में एकत्रित जल को पीएचईडी विभाग की निकटतम स्कीम से जोड़ने की रणनीति पर कार्य किया जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि इन जलाशयों में एकत्रित होने वाले जल के वाष्पीकरण को कम करने के उपाय तलाशे जाएं। साथ ही लिफ्ट परियोजना में होने वाले विविध व्यय को कम करने के लिए सोलर सिस्टम लगाने पर विचार किया जाए। कार्यों की प्रभावी मॉनिटिरिंग की जाए जिससे परियोजना अपनी अधिकतम क्षमता प्राप्त कर सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी नहर मण्डल भवन में आई.जी.एन.पी. की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये।

उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना में कार्य प्रभारी कर्मचारियों एवं राजस्व पटवारियों की कमी के मद्देनजर संविदा सेवा नियमों का उपयोग करते हुए मल्टी टास्किंग स्टाफ कैडर की सेवा का उपयोग किया जाए। उन्होंने बैठक के दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं सहायक परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी ली एवं यथोचित दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में सम्बन्धित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिषासी अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पालिका अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करने के आदेश पर रोक

जयपुर। हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत अदालत ने झालावाड़ के अकलेरा नगर पालिका की अध्यक्ष को अयोग्य घोषित कर दिया था। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश विजय लक्ष्मी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अजय कुमार जैन ने अदालत को बताया कि कांग्रेस से जुडी याचिकाकर्ता अकलेरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी। वहीं भाजपा की कैलाशी देवी पराजित हुई थी। इस पर कैलाशी देवी ने जिला न्यायालय में चुनाव याचिका पेश कर याचिकाकर्ता के निर्वाचन को चुनौती दी। कैलाशी देवी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति नगरपालिका में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में विजय लक्ष्मी चुनाव लडने के लिए अयोग्य थी। इसलिए उसका निर्वाचन रद्द किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने गत 21 मार्च को याचिकाकर्ता का निर्वाचन रद्द कर दिया था। याचिका में कहा गया कि नियमानुसार इस आदेश को एक माह में अपील के जरिए चुनौती दी जा सकती थी।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

व.मं.बि.इंजी. (टीआरडी), उ.प.रे., जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। क्र सं:1. एनआईटी संख्या: ईएल-टीआरडी-जेपी-2024-25-03; कार्य का नाम: टीआरडी वर्क इन कनेक्शन विथ प्रपोज्ड रेजिंग एण्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लेटफार्म एट खानपुर अहीर (केएनएआर) एण्ड कोल्वाग्राम (केवीजीएम) स्टेशन ऑफ जयपुर डीविजन। अनुमानित लागत (रु): 41,28,727.60; बिड सिक्युरिटि राशि (रु): 82,600.00; निविदा खोलने की तिथि: 30.04.2024; नोट: ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय : निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक; ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय: निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे बाद; सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट का पता: http://www.ireps.gov.in 432-AN/24

हमें f X /NWRailways पर फॉलो करें

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 135/2024

चूंकि श्री अरूण कुमार सिंघवी पुत्र श्री शान्ति कुमार सिंघवी निवासी 3 यमुना पथ, सूरज नगर (वेस्ट) सिविल लाइन्स जयपुर-302006 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अलोक सिंघवी चेरिटेबल ट्रस्ट प्रयास पता 3, आयकर कॉलोनी सिविल लाइन्स जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 06.06.2024

मोहर अदालत

आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-7 मुकाम जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर माधुरी सिंह बाबत कजोड
दावा बाबत-कायम मुकाम
मुकदमा नम्बर 23/2014 CIS 42243/2014
बनामः-
मुसम्मी मनफुली पत्नि राजेन्द्र मीणा कौम मीणा साकिन नटाटा तहसील आमेर परगना जिला जयपुर।

चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख 15.10.2019 माह सन 199 को 1. माधुरी सिंह बनाम 2. कजोड दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि प्रतिवादी सं. 2 मृतक बद्री मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी सं. 2/2 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी सं. 2/2 बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1. मनफुली 20 माह 04 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-7,
जयपुर महानगर द्वितीय

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-7 मुकाम जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर ओमपाल सिंह बाबत कजोड
दावा बाबत-कायम मुकाम
मुकदमा नम्बर 73/2012 CIS 42250/2014
बनामः-
मुसम्मी मनफुली पत्नि राजेन्द्र मीणा कौम मीणा साकिन नटाटा तहसील आमेर परगना जिला जयपुर।

चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख 15.10.2019 माह सन 199 को 1. ओम पाल सिंह बनाम 2. कजोड दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि प्रतिवादी सं. 2 मृतक बद्री मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी सं. 2/2 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी सं. 2/2 बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1. मनफुली 20 माह 04 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-7,
जयपुर महानगर द्वितीय

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-7 मुकाम जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर अजीत सिंह बाबत कजोड
दावा बाबत-कायम मुकाम
मुकदमा नम्बर 69/2012 CIS 42254/2014
बनामः-
मुसम्मी मनफुली पत्नि राजेन्द्र मीणा कौम मीणा साकिन नटाटा तहसील आमेर परगना जिला जयपुर।

चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख 15.10.2019 माह सन 199 को 1. अजीत सिंह बनाम 2. कजोड दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि प्रतिवादी सं. 2 मृतक बद्री मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी सं. 2/2 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी सं. 2/2 बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1. मनफुली 20 माह 04 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-7,
जयपुर महानगर द्वितीय

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-7 मुकाम जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर हरिश मेहता बाबत कजोड
दावा बाबत-कायम मुकाम
मुकदमा नम्बर 46/2012 CIS 42255/2014
बनामः-
मुसम्मी मनफुली पत्नि राजेन्द्र मीणा कौम मीणा साकिन नटाटा तहसील आमेर परगना जिला जयपुर।

चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख 15.10.2019 माह सन 199 को 1. हरिश मोहन बनाम 2. कजोड दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि प्रतिवादी सं. 2 मृतक बद्री मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी सं. 2/2 मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी सं. 2/2 बनाये जावें।

लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1. मनफुली 20 माह 04 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम संख्या-7,
जयपुर महानगर द्वितीय